ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. **4/2016-**एसडीआर दिनांक**: 21.04.2016**

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
केरल,
तिरूवनन्तपुरम

विषय : **दिनांक 23/04/2016 को बैंक अवकाश- नामनिर्देशन प्राप्त करना-स्पष्टीकरण।**

महोदय,

मुझे, दिनांक **19/04/2016** के आपके पत्र सं. **2135/** ईएल **3/2016**/ निर्वाचन को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या केरल विधान सभा के साधारण निर्वाचन,**2016** के लिए नामनिर्देशन पत्र चौथे शनिवार को प्राप्त किए जा सकते हैं जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथाअधिसूचित अधिसूचना, दिनांक **20/08/2015** के द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881** की धारा **25** के अधीन बैंको के लिए अवकाश के रूप में घोषित किया है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **33(1)** के अधीन द्वितीय परंतुक में यह प्रावधान है कि कोई भी नामर्निदेशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को उस दिन नहीं सौंपा जाएगा जिस दिन सार्वजनिक अवकाश है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **2(4)** के अधीन "सार्वजनिक अवकाश" कोई ऐसे दिन के रूप में परिभाषित है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881** की धारा **25** के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अवकाश दिन है।

उपर्युक्त विधिक स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट किया जाता है कि रिटर्निंग अधिकारी को दूसरे एवं चौथे शनिवार को कोई भी नामर्निदेशन पत्र प्राप्त नहीं करना चाहिए, जिन्हें वित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथाअधिसूचित, अधिसूचना दिनांक **20/08/2015** द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881** की धारा **25** के अधीन बैंकों के लिए अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। राज्य में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को इसके बारे में तुरंत सूचित किया जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(एन.टी.भुटिया)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषितः- तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे सख्त अनुपालन के लिए उपरोक्त स्पष्टीकरण के बारे में रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दें।